

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफपी रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार निम्नांकित सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/ 20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र० सं०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/पे-लेवल
1	रोशन लाल शर्मा, राजमावि गोगाथला, राजसमन्द	से.नि. प्रधानाचार्य	5/2/1962	18-04-1988	30	17-04-2018	18-04-2018 एल-17

नोट :-

- 1 एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है
- 2 उक्त वर्णित कार्मिकों में से किसी का स्थानान्तरण पर विचार करने पर परिवर्तन हो गया है तो सम्बन्धित नवीन नियंत्रण अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दिनांक 01 की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।



(गीरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 25/05/2022

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-4/रोशन-लाल/2022/55

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा, राजसमन्द
- 2 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पं.स. रेलमगरा जिला-राजसमन्द
- 3 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगाथला जिला-राजसमन्द
- 4 रोशन लाल शर्मा से.नि.प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगाथला जिला-राजसमन्द
- 5 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 6 गार्ड फंजिका

(संयुक्त निदेशक (कार्मिक))
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर